

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल- इलाहाबाद

पत्रांक 811 / 30030वि0/पंजीकरण "सी" श्रेणी/18-19

दिनांक 10-8-18

पंजीकरण सं० 09/2018-19

पंजीकरण प्रमाण पत्र

श्री० कुमार कान्स्ट्रक्शन कंपनी प्रो० श्रीमती निरशा देवी पत्नी श्री अजयेश कुमार द्विवेदी, म०न०-०० कटरा, अब्दुल गनी शहर तहसील व जिला फतेहपुर को ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद में भवन/मार्ग एवं पुल के सिविल निर्माण के लिये "सी" श्रेणी में ठेकेदारी हेतु पंजीकृत किया जाता है।

यह प्रमाण पत्र ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद के अन्तर्गत समस्त प्रखण्डों में मान्य होगा तथा इस प्रतिबन्ध के साथ दिनांक 30.06.2021 तक वैध होगा कि किसी भी समय ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कोई भी प्रपत्र/कागज यदि गलत पाया जाता है तो पंजीकरण स्वतः समाप्त हो जायेगा, एवं नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी की जायेगी। इस प्रमाणपत्र की वैधता दिनांक 30.06.2021 के बाद स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

नोट:- ठेकेदार को पंजीकरण/परीचीकरण करने के उपरान्त इस विभाग के नियमों को अन्तर्गत अधिकारों का पंजीकरण कराया एवं सहायता प्राप्त करना अनिवार्य है।

अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद

पत्रांक एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. समस्त अधीशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग परिमण्डल- इलाहाबाद।
2. अधीशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड फतेहपुर को यद्दीना 30.06.2021 ग्रामीण बैंक, साखा फतेहपुर द्वारा निर्गत एफ०डी०आर० सं०-080655 दिनांक 07.07.2018 जमा धनराशि रु० 1,00,000.00 जो अयोधरसाहरी के पदनाम बंधक है, मूलरूप में इस निर्देश के साथ संलग्न कर प्रेषित है कि कृपया जगत जमानत धनराशि को अपनी सौफ करस्टडी में रख लें और जब तक इस स्तर से कोई आदेश/निर्देश निर्गत न किये जायें तब तक बंधक मुक्त न करें (संलग्नक मूल रूप में)।
3. श्री० कुमार कान्स्ट्रक्शन कंपनी प्रो० श्रीमती निरशा देवी पत्नी श्री अजयेश कुमार द्विवेदी, म०न०-०० कटरा, अब्दुल गनी शहर तहसील व जिला फतेहपुर द्वारा अधीशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग प्रखण्ड फतेहपुर।



अधीक्षण अभियन्ता
ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग
परिमण्डल इलाहाबाद।